

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने वन्यजीवों के समक्ष आने वाले स्वास्थ्य खतरों से निपटने के उद्देश्य से एक **राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति** प्रस्तावित की है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति क्या है?

■ परिचय:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय चड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सरकारी वभिणों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, प्राण उद्यानों और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- नीति विकास को IIT बॉम्बे स्थित GISE हब और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय जैसे संस्थानों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

■ उद्देश्य:

- यह नीति भारत की **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31)** और **वन हेल्थ नीति** की पूरक होगी, जिसका उद्देश्य लोगों, पशुओं तथा पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को मान्यता देकर उनके स्वास्थ्य को अनुकूलित करना है।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31)** में **103 संरक्षण कार्यों** और **250 परियोजनाओं** की रूपरेखा दी गई है।
 - इनमें बाघ अभयारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों और वनों में रोग निगरानी के लिये एक मानक प्रोटोकॉल बनाना, साथ ही जंगली जानवरों की मृत्यु तथा इच्छामृत्यु के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल स्थापित करना शामिल है।
- नीति में **वन्यजीव रोगाणु जोखिम प्रबंधन**, **रोग प्रकोप की तैयारी और प्रतिक्रिया**, तथा **जैव सुरक्षा** जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
- नीति का उद्देश्य वन्यजीव रोगों और स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीतियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पहल को बढ़ावा देना है।
 - वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन में शामिल **हतिधारकों के कौशल और ज्ञान** को बढ़ाना।

■ वर्तमान वन्यजीव स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ:

- भारतीय वन्यजीव **वभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना** कर रहे हैं, जिनमें **संक्रामक रोग (कैनाइन डिसिंटेपर वायरस)**, आवास की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
 - यह नीति इसलिये आवश्यक है क्योंकि **भारत में वन्यजीवों की 91,000 से अधिक प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, तथा यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिज़र्वों सहित **1,000 से अधिक संरक्षित क्षेत्र** हैं।

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
 - ⌚ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
 - ⌚ एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
 - ⌚ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
 - ⌚ IDWH, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⌚ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⌚ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⌚ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- ⌚ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- ⌚ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- ⌚ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⌚ रामसर कन्वेंशन
- ⌚ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⌚ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⌚ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⌚ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⌚ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



Drishti IAS

- **केंद्रीय चड्डियाघर प्राधकिरण (CJZA)** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं तथा इसमें **10 सदस्य और एक सदस्य-सचिव** होते हैं।
- इसका उद्देश्य समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय पर्यास को पूरक और मज़बूत बनाना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. यदकिस्सी पौधे की वशिष्ट जातिको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)

- उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
- ऐसे पौधे की खेती किसी भी परस्थिति में नहीं हो सकती।
- यह एक आनुवंशिकतः रूपांतरित फसली पौधा है।
- ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारतंत्र के लिये हानिकारक होता है।

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की जैवविविधता के लिये खतरा हो सकता है? (2012)

- ग्लोबल वार्मिंग
- आवास का खंडीकरण
- वदिशी प्रजातियों का आक्रमण
- शाकाहार को बढ़ावा देना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करे सही उत्तर का चयन कीजिये:

- केवल 1, 2 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 4
- 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A